फ़र्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

बिरदी / कानूराम

केस संख्या : 82/2019 अ.नि.

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	14-7-2023	पत्रावली प्रस्तुत। व० फ० उपस्थित। पत्रावली आदेश हेतु नियत है। वादिया तनकी संख्या 1 लगायत 5 साबित करने में असमर्थ/असफल रही है। फलस्वरूप वादिया का वाद खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय व डिक्री पृथक से लिखवाया गया। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
आमेर मु० जयपुर

Scanned with CamScanner

न्यायालय :– सहायक कलेक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : सुनील शर्मा
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या – 82/2019 वाद प्रस्तुति दिनांक – 04.07.2011

बिदामी देवी पत्नी श्री रामेश्वर लाल जाट पुत्री श्री मोतीराम जाट जाति जाट ग्राम नांगल सिरस तहसील आमेर जिला जयपुर हाल निवासी मन्दिर मोहल्ला, ग्राम देवगुढा तहसील आमेर जिला जयपुर।

.........वादिया

बनाम

1. कालूराम जाट पुत्र हनुमान सहाय जाति जाट निवासी ग्राम सिरस की नांगल तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जिला जयपुर। उप पंजीयक कार्यालय आमेर जिला जयपुर।
3. उप पंजीयक कार्यालय आमेर जिला जयपुर।

––प्रतिवादीगण

न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर

वाद बाबत घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा – 88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955

उपस्थिति :–

(1) श्री बनवारी लाल शर्मा – अधिवक्ता वादीया

(2) श्री भगवान सहाय शर्मा – अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से।

दिनाँक:– 14.07.2023

निर्णय

वादिया द्वारा एक वादपत्र बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादिया के दादा लछमना उर्फ लक्ष्मण के कब्जे की खातेदारी कृषि भूमि साबिक खसरा नम्बर 369 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 374 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 376 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा,

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर

Scanned with CamScanner

खसरा नम्बर 402 रकबा 2 खसरा नम्बर 403 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, खसरा बिस्वा, 405 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 408 रकबा ी3 बिस्वा, खसरा नम्बर 411 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 431 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा कुल किता 9 कुल रकबा बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम सिरस की नांगल वर्तमान ग्राम नांगल सिरस तहसील आमेर जिला जयपुर की हैं। उक्त भूमि वादीया के दादा लछमना अपने जीवनकाल में काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करते थे। खतौनी बन्दोबस्त संवत 2010 से में मोतिया व गंगोलिया व अनमानिया पिसरान लछमना के नाम रिकार्ड में दर्ज रही। लेकिन उक्त भूमि लछमना काबिज काश्त हैं। यह कि दौराने बन्दोबस्त उपरोक्त साबिक खसरा नम्बरान् के हाल खसरा नम्बर 746, 747, 665, 680, 671, 670, 707, 667, 779, 691, 755, 461, 780, 760, 771 वगैरह कायम किये गये। यह कि दौराने बन्दोबस्त वादीया के पिता मोतिया उर्फ मोतीराम, गंगोलिया उर्फ गंगाराम, अनमानिया उर्फ हनुमान पिसरान लछमना उर्फ लक्ष्मण ने जरिये खसरा परिशोधन विभाजन करवाकर हाल खसरा नम्बर 665 रकबा 0.54 हैक्टेयर, 665 रकबा 0.54 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 679/845 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 690/846 रकबा नम्बर 0.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 691 खसरा नम्बर 691 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 780 रकबा 0.17 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 1. 19 हैक्टेयर मोतिया उर्फ मोतीराम पुत्र लछमना उर्फ लक्ष्मण के हिस्से में कायम किये गये। जिस पर मोतिया उर्फ मोतीराम पुत्र जीवनकाल में काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करते रहे। स्व० श्री मोतिया उर्फ मोतीराम पुत्र लछमना उर्फ लक्ष्मण के कोई पुत्र वारिस नहीं हैं, विवादित भूमि वादिया की पुश्तैनी खातेदारी व कब्जा काश्तशुदा है। विवादित भूमि सहित अन्य कृषि भूमि पर वादिया के पूर्वज परागा वल्द मोहन जाट जीवनभर काबिज काश्त रहे थे तथा उनके पश्चात उनके वारिसान में विवादित भूमि व अन्य भूमि का आपसी सहमति से विभाजन हो गया। जिसके तहत दौराने बन्दोबस्त वादिया के पिता मोतिया उर्फ मोतीराम, गंगोलिया गंगाराम अनमानिया उर्फ हनुमान पि0 लछमना उर्फ लक्ष्मण की आपसी सहमति व रजामंदी से खसरा परिशोधन विभाजन संवत 2040 के आधार पर खसरा नम्बर 665 रकबा 0.54 हैक्टेयर खसरा नम्बर 679/845 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 690/846 रकबा 0.21 हैक्टेयर खसरा नम्बर 691 रकबा 0.02 हैक्टेयर खसरा नम्बर 780 रकबा 0.17 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 1.19 हैक्टेयर मोतिया उर्फ मोतीराम पुत्र लछमना उर्फ लक्ष्मण के हिस्से में कायम किये गये। उर्फ नक्शा किश्तवार मौजा (ग्राम) सिरस का नांगल पट्टा हवेली राजसवाई जयपुर रकबा 0.25 हैक्टेयर खसरा नम्बर 2 बाबत संवत 1927 की हिन्दु अनुवाद प्रतिलिपि में दर्ज खसरा में नम्बर 57 से 88, 118, 129, 143, 155 को भू–प्रबंध विभाग द्वारा जारी नक्शा संवत 2041 से 2042 पर इम्पॉज करने पर खसरा नम्बर 665, 679/845, 690/846, 691, 780 बनते है जो इस वाद पत्र में विवादित भूमि है। राजसवाई जयपुर के उर्फ रिकार्ड में वादिया के पूवर्ज परागा वल्द मोहन जाट के नाम से प्रविष्टियां दर्ज है। इस प्रकार उक्त वर्णित तथ्यों एवं प्रस्तुत दस्तावजों के आधार पर विवादित भूमि वादीया की पुश्तैनी खातेदारी व कब्जा काश्तशुदा होना प्रमाणित है। विवादित भूमि में वादिया का पीढ़ी दर पीढी जन्म सिद्ध विधिक अधिकार निहित चले आ रहे हैं। यह कि बाद पत्र की मद नम्बर 3 में वर्णित

न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर

Scanned with CamScanner

भूमि को वादग्रस्त भूमि है जिसे आगे के मदो में वादग्रस्त भूमि से सम्बोधित किया गया हैं। यह कि वादीया के पिता मोतिया उर्फ मोतीराम पुत्र लछमना उर्फ लक्ष्मण के कोई पुत्र नही होने के कारण वादीया ही उनकी सेवासुश्रुषा करती चली आ रही थी। वादीया के पिता मोतिया उर्फ मोतीराम पुत्र लछमना उर्फ लक्ष्मण की मृत्यु दिनांक 14/7/2019 को एवं वादीया की माता मु० केसर देवी पत्नी मोतिया उर्फ मोतीराम का देहान्त दिनांक 13/2/1962 को हो जाने के पश्चात वादीया ही उनकी एकमात्र जायन्दा विधिक उत्तराधिकारी रही हैं, और हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत मोतिया उर्फ मोतीराम पुत्र लछमना उर्फ लक्ष्मण की मृत्यु के पश्चात उनके हिस्से की भूमि की काबिज मालिक स्वामी हैं। प्रतिवादी संख्या 1 का उपरोक्त कृ षि भूमि से कोई संबध व सरोकार नही रहा हैं न ही उक्त भूमि पर काबिज काश्त हैं। दिनांक 13/6/1994 को वादीया के पिता मोतिया उर्फ मोतीराम पुत्र लछमना उर्फ लक्ष्मण के अनपढ एवं ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति होने के कारण एक नुमाईशी विक्रय पत्र अपने पक्ष में निष्पादित करवा लिया। जबकि उक्त कृषि भूमि का बैचान मोतिया उर्फ मोतीराम पुत्र लछमना उर्फ लक्ष्मण ने अपने जीवनकाल में किसी को नहीं किया, और जब तक जीवित थे तब तक उक्त भूमि पर काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे थे। उनका मृत्यु के पश्चात वादीया उक्त भूमि पर काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग कर रही हैं। वादीया ने ही अपने पिता मोतिया उर्फ मोतीराम पुत्र लछमना उर्फ लक्ष्मण की सेवासुश्रुषा एवं सामाजिक कार्यकलाप किये थे। प्रतिवादी संख्या 1 भूमि में कोई संबंध एवं सरोकार नही हैं । उर्फ का उक्त ने दिनांक 13/6/1994 को बिना यह कि प्रतिवादी संख्या 1 प्रतिफल अदायगी एवं बिना मोतिया उर्फ मोतीराम पुत्र लछमना उर्फ लक्ष्मण की जानकारी से जो नुमाईशी विक्रय पत्र अपने पक्ष में तस्दीक करवाया है वह कानूनन अवैध हैं, तथा बमुकाबले वादीया क्लेअदम व बेअसर हैं। उक्त अवैध विक्रय पत्र के आधार पर वादीया के विधिक अधिकारों पर कोई विपरीत असर नही पडता हैं। वादीया अपने पिता से प्राप्त विरासतन खातेदारी कृषि भूमि को प्राप्त करने की विधिक अधिकारी हैं। क्योंकि वादीया ही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मोतिया उर्फ मोतीराम पुत्र लछमना उर्फ लक्ष्मण की प्रथम श्रेणी की एकमात्र विधिक वारिस हैं । वादग्रस्त कृषि भूमि में वादिया के पिता श्री मोतिया उर्फ मोतीराम पुत्र लछमना उर्फ लक्ष्मण की मृत्यु दिनांक 14/7/2019 को हो गई है। वादीया उक्त भूमि पर निर्विवाद रूप से काबिज हैं। उनकी मृत्यु के काश्त पश्चात उक्त भूमि का नामानतकरण खुलवाने हेतु किया हेतु हल्का पटवारी एवं तहसीलदार आमेर से सम्पर्क तो हल्का पटवारी ने कहा कि उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज एवं अंकित हैं। वादीया ने साबिक रिकार्ड निकलवाये तब वादीया को पता चला कि उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या ने गलत रूप से अपने नाम खातेदारी में अंकित करवा ली हैं। इसलिए वादीया को अपने अधिकारों की सुरक्षार्थ माननीय अदालत हाजा के समक्ष वाद घोषणा का प्रस्तुत करना लाजमी हुआ । वादिया का आराजी जैर कृषि भूमि में उसके पिता मोतिया उर्फ मोतीराम पुत्र लछमना उर्फ लक्ष्मण के मृत्यु के पश्चात् विरासती खातेदारी अधिकार निहीत है। लेकिन प्रतिवादीगण के मन मे बेईमानी आने के कारण तथा वादिया को उसके हक हिस्से से महरूम करने की धमकी देने के कारण वादिया को अपने

न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर

Scanned with CamScanner

विधिक अधिकारों एवं विरासतन खातेदारी अधिकारो की सुरक्षार्थ माननीय न्यायालय के समक्ष स्थाई निषेधाज्ञा वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने हेतु पक्षकार बनाया गया है कि वह वादिया के हक हिस्से की कृषि भूमि मे जबरन कोई मजाहमत नही करें। वादीया स्व. श्री मोतिया उर्फ मोतीराम पुत्र लछमना उर्फ लक्ष्मण की पुत्री है। हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रथम वरियता की वारिसान है और आराजी जैर कृषि भूमि में वादीया का हक निहीत है । यह कि चूँकि वाद अधीन कृषि भूमि वादिया की पुश्तैनी एंव पैतृक खातेदारी की है जिसमें वादिया के पुश्तैनी व पैतृक अधिकार कानूनन निहित है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण के हक में वा के अधिकारों का हनन वादिया के अधिकारों व हिस्से की सीमा तक सर्वथा गैर कानूनी, विधि विरुद्ध, कानूनी, विधि विरुद्ध, अवैद्य, बेकलम व प्रभावशुन्य है, क्योंकि वादग्रस्त भूमि वादिया की पुश्तैनी व पैत्रिक खातेदारी अधिकारों की है जिसमें वादिया का पुश्तैनी एंव जन्मसिद्ध अधिकार निहित है। विधि अनुसार प्रतिवादीगण को वादिया के अधिकारों का हनन एंव खुर्द–बुर्द करने के कोई विधिक अधिकार हासिल नहीं है। दिनांक 07/08/2019 को प्रतिवादी संख्या 1 किन्ही 8–10 दिगर व्यक्तियों को जीप में लेकर आया व भूमि को दिखाने लगा तो वादिया ने प्रतिवादीगण से पूछा तो प्रतिवादीगण ने कहा कि हम इस जमीन को बैच रहे है। ऐसा करने से वादिया ने प्रतिवादीगण को मना किया तो उन्होंने एलानिया धमकी दी कि इस भूमि को हम बैचान करके रहेंगे व तुम्हें इस जमीन से बेदखल कर देगें व मौका मिलते ही तुम्हें जान से मार देंगे। उपरोक्त वर्णित स्थिति एंव परिस्थितियों के आधार पर वादी घोषणा खातेदारी की डिक्री बहक वादिया विरुद्ध प्रतिवादीगण को इस आशय की प्राप्त करने की विधिक रूप से अधिकारी है कि, ग्राम सिरस की नांगल वर्तमान ग्राम नांगल सिरस तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 665 रकबा 0.54 हैक्टेबर, खसरा नम्बर 679/845 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 690/846 खसरा नम्बर 690/846 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 691 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 780 रकबा 0. 17 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 1.19 हैक्टेयर वादिया के पिता के नाम से राजस्व में दर्ज एंव अंकित रही है तथा उक्त खसरा नम्बरान् में वादिया के पिता की भूमि का वादीया को खातेदार काश्तकार वादिया को घोषित किया जाना आवश्यक है।

वादीगण ने अपने दावे के समर्थन में दस्तोवेज साक्ष्य में प्रमाणित प्रति खतौनी बंदोबस्त संवत 2010 से 2023, मिलान क्षेत्रफल, खसरा परिशोधन, जमाबंदी संवत 2057 से 2060, नामान्तकरण, पंचायत समिति जालसू रशीद क्रमांक 48959 दिनांक 13.08.2019, कुर्सीनामा ग्राम पंचायत क्रमांक 488958 दिनांक 13.08.2019, हाल जमाबंदी, नक्शा, राशन कार्ड आधार कार्ड प्रस्तुत किया है।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया।

प्रतिवादीगण संख्या 1 के द्वारा दिनांक 09.05.2022 को संशोधित जवाब दावा पेश किया गया जिसमे अंकित किया है कि पैरा संख्या 1 में उल्लेखित साबित खसरा नम्बर 369, 374, 376, 402, 403, 405, 408, 411, 431 कुल किता 09 नांगल सिरस तहसील आमेर जिला जयपुर

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Scanned with CamScanner

में स्थित होना स्वीकार है उक्त भूमि का संवत 2010 से 2023 में प्रथम खतौनी बन्दोबस्त मोतिया, गंगोलिया व उनमानिया के नाम पर्चा जारी हुआ था। उक्त भूमि पर मोती पुत्र लक्ष्मणा वर वक्त सेटलमेण्ट के काबिज काश्त होने के कारण पर्चा जारी हुआ था। उक्त भूमि पर लक्ष्मणा का काबिज होने का तथ्य असत्य है। चूंकि लक्ष्मणा वर्ष 1945 में ही फोत हो चुका था। इसलिए प्रथम बार का सेटलमेण्ट मोती पुत्र लक्ष्मणा के ही उक्त आराजीयात में 1/3 हिस्से का जारी हुआ था। वाद पत्र का पैरा संख्या 3 में उल्लेखित तथ्यों में यह तथ्य स्वीकार है कि मोतिया उर्फ मोतीराम, गंगोलिया उर्फ गंगाराम, अनमानिया उर्फ हनुमान पिसरान लक्ष्मना उर्फ लक्ष्मण ने जरिये खसरा परिशोधन वर्ष 1992 से पूर्व ही विभाजन करवा लिया गया था। जिसके मोतिया उर्फ मोती के हाल खसरा नम्बर 665 रकबा 0.54 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 679/845 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 690/846 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 691 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 780 रकबा 0.17 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 1.19 हैक्टेयर मोतिया उर्फ मोतियाराम के अलग से खाता कायम कर खातेदारी दर्ज हो गयी। उक्त मद में उल्लेखित तथ्यों में यह तथ्य सही है कि मोतिया उर्फ मोती के वारिस में कोई पुत्र नही हैं । वांदिया ही एक मात्र उत्तराधिकारी है। वाद पत्र के उक्त मद संख्या मे वर्णित सजरा खानदान जिस प्रकार से अंकित किया गया है, अस्वीकार है। परागा पुत्र मोहन जाट को मिन प्रतिवादीगण का पूर्वज होने का कथन गलत अंकित किया है, जो अस्वीकार है। उक्त सजरा खानदान में अंकित रघुनाथ, डूगा, छोटू बालूगंगाराम, के वारिसान का उल्लेख नहीं किया है। यहां यह स्पष्ट करना भी समीचीन होगा कि वादिया ने तथाकथित सजरा खानदान के उक्त मद संख्या 3 मे परागा पुत्र मोहन के तीन लडके होना अंकित किया है। उक्त रघुनाथ, डूंगा, जीवित है या उनकी मृत्यु होने की स्थिति मे उनकी वारिसान का कई भी उल्लेख नहीं किया और ना ही वारिसान को पक्षकार बनाया है। इसी प्रकार तथाकथित संजरा खानदान मे अंकित तुलसीराम के पुत्र झूथा, भगता, छोटू, बालू को या उनके वारिसान को प्रकरण मे पक्षकार संयोजित नहीं किया है वादिया का वाद आवश्यक पक्षकार के संयोजन के अभाव मे आदेश 1 नियम 13 सी. पी. सी. के नुक्स से आरिज है इसलिए वाद वादिया खारिज किये जाने योग्य है । वादपत्र के मद संख्या 3ए मे वर्णित कथन गलत होने के कारण अस्वीकार है। उक्त भूमि विवादित का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव मे आने के समय सम्वत् 2010 से 2023 मे आने से प्रथम खतौनी बंदोबस्त मोतीया, गंगलीया, व उनमानीया के नाम पर्चा जारी हुआ। वरवक्त भू प्रबंध व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव मे आने के समय काबिज काश्त होने के आधार पर पर्चा उपरोक्त के नाम जारी हुआ। वादिया ने उक्त मद में परागा पुत्र मोहन जाट काबिज काश्त होने का कथन गलत अंकित किया है। उक्त मद मे परागा पुत्र मोहन की मृत्यु की साल सम्वत् व कब्जा काश्त होने के साल व सम्वत् कई भी अंकित नहीं किया है उक्त मद में वर्णित कथन कि परागा पुत्र मोहन के वारिसान में आपसी सहमति से विभाजन कब हुआ व किस दस्तावेज के द्वारा विभाजन हुआ के बाबत् कथन कई भी अंकित नही किये है। इस कारण से जवाब देही आवश्यक नहीं है। उक्त मद मे वर्णित यह कथन विवादित नहीं है कि

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर नं. जयपुर

Scanned with CamScanner

मोतीया उर्फ मोतीराम, गंगलीया उर्फ गंगाराम, उनमानीया उर्फ हनुमान, पुत्रान् लक्ष्मना उर्फ लक्ष्मण के मध्य भूमि विवादग्रस्त का विभाजन होने पर वाद विभाजन खसरा नम्बर 665 रकबा 0.54 हैक्टयर, खसरा नम्बर 679 / 845 रकबा 0.25 हैक्टयर, खसरा नम्बर 690 / 846 रकबा 0.21 हैक्टयर, खसरा नम्बर 691 रकबा 0.02 हैक्टयर, खसरा नम्बर 780 रकबा 0.17 हैक्टयर, कुल किता 05 कुल रकबा 1.19 हैक्टयर भूमि मोतीया उर्फ मोतीरा लक्ष्मण को प्राप्त हुई । उक्त मद संख्या 3ए मे वर्णित कथन राजसवाई जयपुर से सम्बन्धित रिकार्ड जानकारी के अभाव मे अस्वीकार है। उक्त राजसवाई रिकार्ड की मिन प्रतिवादी को कोई जानकारी नहीं है। उक्त मद मे तथाकथित राजसवाई जयपुर के समय के रिकार्ड से सम्बन्धित खसरा नम्बरान् का रकबा भी अंकित नहीं किया है । और ना ही तथाकथित खसरा नम्बर 57 से 88, 118,129,143,155, के खातेदारान् का अंकन किया है और ना ही वारिसान का अंकन किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रभाव में आने के वक्त उपरोक्त खसरा नम्बरान् के खातेदार कौन–कौन थे । उक्त भूमि का पर्चा सजरा खानदान मे वर्णितानुसार अन्य व्यक्ति के नाम राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज होने का अंकन नहीं किया है। इस कारण से जवाबदेही सम्भव नही है ।यहां यह उल्लेखनीय है कि हिन्दु उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 की धारा 6 की उपधारा 3 मे संशोधन दिनांक 09.09.2005 को किये गया है, जिसमे स्पष्टया परन्तुक जोडा गया कि इस उपधारा मे अन्तर्विष्ट कोई भी बात सम्पत्ति के किसी भी विभाजन या कालूराम वादिया वसीयती, व्ययन को सम्मलित करते हुए, ऐसे किसी भी व्ययन या अन्य संकरामण (alienation) को प्रभावित या अविधिमान्य नहीं करेगी जो 20. 12.2004 के पूर्व का हुआ था । हस्तगत प्रकरण मे विवादित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 13.06.1994 को अर्थात् हिन्दु उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 प्रभाव मे आने से 11 वर्ष पूर्व ही वादिया के पिता स्व. मोतीया उर्फ मोतीराम ने भूमि बेंचान मिन प्रतिवादी के हक मे जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से कर दिया था। इस प्रकार स्पष्ट है कि वादिया का हिन्दु उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 अनुसार विवादित भूमि मे जन्म से हक अधिकार उत्पन्न होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। विक्रय पत्र दिनांक 13.06.1994 के प्रभावी रहते हुए वाद वादिया सरसरी तौर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। वादिया ने उक्त मद संख्या 3ए में विवादित भूमि पर स्वयं का कब्जा काश्त होने का कथन गलत अंकित किया है। वादग्रस्त भूमि बाबत् भूमिधारी प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा साविक खसरा नम्बर 369,389,388,431, कुल किता 4 कुल रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा जिसके बने नवीन खसरा नम्बरान् 665,679 / 845, 690 / 846, 691,780, कुल किता 05 रकबा 1.195 हैक्टयर बाबत् माफी मन्दिर श्री द्ववारिकाधीश जी के नाम दर्ज करवाये जाने बाबत् तहसीलदार तहसील आमेर द्वारा रेफेरेंन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 भू राजस्व अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया । उक्त प्रार्थना पत्र को मिन प्रतिवादी द्वारा जवाब मय दस्तावेजात प्रस्तुत कर कन्टेस्ट किया, जो न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (तृतीय) जयपुर द्वारा दिनांक 29.07.2009 को रेफेरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। उक्त मद मे वर्णित सम्पूर्ण तथ्य वादिया द्वारा महज मिन प्रतिवादी को हैरान परेशान करने एवं मिन प्रतिवादी के चचेरे भाई रामचन्द्र, नानूराम, पुत्रान

कार्यालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Scanned with CamScanner

गंगाराम वगैरह के बहकावे मे आकर सम्पूर्ण कथन बैबुनियादी अंकित किये है। वाद पत्र का पैरा संख्या 4 में उल्लेखित तथ्य सही नहीं है। अस्वीकार है। उक्त भूमि किसी भी प्रकार से वादग्रस्त नहीं है। वादिया ने कानूनी प्रावधानों के बाहर जाकर उक्त दावा श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया है। यह कि वाद पत्र के पैरा संख्या 5 में वर्णित तथ्यों में यह तथ्य कि हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत मोतिया उर्फ मोतीराम पुत्र लक्ष्मना उर्फ लक्ष्मण भूमि का काबिज मालिक स्वामी है मिथ्या है। उक्त भूमि को मिन प्रतिवादी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के दिनांक 13/06/1994 को कय कर ली गयी थी जो मुबलिंग 1,10,000 /– रूपये अक्षरे एक लाख दस हजार रूपये में बतौर प्रतिफल राशि मोतिया उर्फ मोतीराम पुत्र लक्ष्मना उर्फ लक्ष्मण को नकद भुगतान किया गया था। इस प्रकार कय के दिन से ही उक्त कृषि भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज काश्त है तथा उक्त भूमि उपयोग एवं उपभोग करता आ रहा है। उक्त भूमि पर वादिया का किसी भी प्रकार से कब्जा काश्त नही रहा है। वादिया के स्वर्गीय पिता श्री मोतिया उर्फ मोतीराम ने विक्रय के समय ही उक्त भूमि का कब्जा प्रतिवादी संख्या 1 को संभला दिया था। इस प्रकार काबिज काश्त तथ्य मनगढन्त एवं असत्य है । वाद पत्र के पैरा संख्या 6 मे वर्णित तथ्य असत्य होने के कारण अस्वीकार है। उक्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या दिनाक 13.06.1994 से काबिज काश्त होकर उपयोग व उपभोग करता आ रहा है तथा लगान सरकारी अदा करता आ रहा है। दिनांक 13.06.1994 का यह तथ्य कि मोतिया उर्फ मोतीराम पुत्र लक्ष्मना उर्फ लक्ष्मण अनपढ एवं ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति होने के कारण नुमाईशी विक्रय पत्र निष्पादित किया जाना मनगढन्त एवं असत्य है। प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त विक्रय पत्र के निष्पादन के वक्त बतौर प्रतिफल की राशि 1,10,000/– रूपये मोतिया उर्फ मोतीराम को नकद प्रदान की गयी है । यह तथ्य भी मिथ्या है कि मोतिया उर्फ मोतीराम ने अपने जीवन काल में किसी को विक्रय पत्र नहीं किया भोतिया उर्फ मोतीराम का उक्त भूमि पर काबिज काश्त व उपयोग उपभोग का तथ्य मनगढन्त एवं असत्य है। इस प्रकार भोतिया उर्फ मोतीराम का दिनांक 13.06.1994 के पश्चात् उक्त भूमि से किसी प्रकार से सम्बन्ध व सरोकर नहीं रहा ना ही वादिया का रहा है। वाद पत्र के पैरा संख्या 7 मे वर्णित तथ्य जिस प्रकार से उल्लेखित किये गये है असत्य होने के कारण अस्वीकार है। प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त भूमि का वैद्य प्रतिफल की राशि प्रदान 'जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र खरीद की है जिसमें प्रतिफल की राशि के रूप में 1,10,000/– रूपये स्पष्ट रूप से अंकित है। यह तथ्य कि नुमाईशी विकय पत्र तस्दीक करवाने का अपने आप में हास्यास्पद एवं असत्य है। वादिया को उक्त भूमि में किसी भी प्रकार से कानूनन कोई अधिकार नहीं बनते है चूंकि वादिया के पिता ने उक्त भूमि दिनांक 13.06.1994 को ही प्रतिवादी संख्या 1 को विक्रय कर दिया था तथा विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 के नामान्तकरण संख्या 40 दिनांक 16.06.1994 को खातेदारी दर्ज हुई है। इसलिये वादिया किसी भी प्रकार से विरासतन उक्त भूमि प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है, ना ही हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उक्त भूमि मे वादिया का किसी भी प्रकार से कोई विधिक हक व हिस्सा नहीं बनता है। वाद पत्र के पैरा संख्या 8 मे वर्णित तथ्य मिथ्या एवं असत्य होने के कारण अस्वीकार है । मोतिया

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Scanned with CamScanner

उर्फ मोतीराम की मृत्यु दिनांक 14.07.2019 हो होना सही है। शेष तथ्य मनगढन्त है। उक्त भूमि पर विक्रय पत्र के निष्पादन के पश्चात् अर्थात दिनांक 13.06.1994 के पश्चात ना ही तो मोतिया उर्फ मोतीराम और ना ही वादिया उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार से काबिज काश्त नहीं है। वादिया का निर्विवाद रूप से काबिज काश्त होने का तथ्य मनगढन्त है। वादिया नामान्तकरण खुलवाने के लिए पटवारी से कौनसी तारीख को सम्पर्क का यह कथन कि मोतिया उर्फ मोतीराम की मृत्यु के पश्चात् किया व तहसीलदार आमेर से कौनसी तारीख को सम्पर्क किया उल्लेखित तथ्य मनगढन्त एवं असत्य होने से अस्वीकार है। वादिया द्वारा उपरोक्त प्रकार से मिथ्या कथन उल्लेखित कर श्रीमान् न्यायालय को गुमराह करने की गरज से उक्त दावा प्रस्तुत किया. है। वादिया के मन मे बेईमानी आने के कारण व प्रतिवादी संख्या 1 को हैरान व परेशान करने के कारण उक्त दावा प्रस्तुत किया गया है जो कानूनन चलने योग्य नहीं है। वाद पत्र के पैरा संख्या 9 मे वर्णित तथ्य गलत एवं असत्य होने से अस्वीकार है। उक्त मद मे उल्लेखित तथ्यों में वादिया का किसी भी प्रकार से कानूनन विरासती खातेदारी अधिकार निहित नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादिया को हक हिस्से से महरूम करने की धमकी देने का तथ्य मनगढन्त एंव झूठा है। प्रतिवादी संख्या 1 के मन मे किसी भी प्रकार की कोई बेईमानी नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 सद्‌भावी क्रेता है तथा वैद्य प्रतिफल राशि प्रदान कर उक्त भूमि कय की गयी है तथा कय के दिन से ही उक्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज काश्त होकर निवास करता आ रहा है। इसलिए वादिया को किसी भी प्रकार से प्रतिवादी संख्या 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का कानूनन कोई हक व अधिकार नहीं है । जब वादिया का उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा काश्त ही नही है तो मजाहमत करने व निर्माण करने आदि तथ्य अपने आप मे ही हास्यास्पद है । वाद पत्र के पैरा संख्या 10 मे उल्लेखित किये गये है सही नही है। वादिया स्वर्गीय श्री मोतिया उर्फ मोतीराम पुत्र लक्ष्मना उर्फ लक्ष्मण की पुत्री होने का तथ्य स्वीकार है। किन्तु उक्त सम्पति का मोतिया उर्फ मोतीराम के नाम प्रथम बार पर्चा खतौन सम्वत् 2011 से 2023 में जारी हुई है। इस भूमि मोतिया उर्फ मोतीराम की स्वअर्जित सम्पति है प्रकार उक्त जिसे मोतिया उर्फ मोतीराम ने दिनांक 13.06.1994 को प्रतिवादी संख्या 1 से वैद्य प्रतिफल राशि प्राप्त कर विकय पत्र निष्पादित किया गया है। इसलिए हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उक्त में कानूनी रूप से किसी भी प्रकार से वादिया का हक हिस्सा निहित नहीं है। वाद पत्र के पैरा संख्या 11 में वर्णित तथ्य मिथ्या होने से अस्वीकार है। उक्त मद मे उक्त भूमि मोतिया उर्फ मोतीराम के स्वअर्जित सम्पति है। वादिया का किसी भी प्रकार से कानूनन व पुश्तैनी व पैतृक अधिकार निहित नहीं है। श्रीमान् के समक्ष उक्त वाद मे विधि विरूद्ध आदेश बेकलम व प्रभावशून्य शब्दों का उक्त भूमि के सम्बन्ध मे इस्तेमाल किया गया है. वह मिथ्या है। चूंकि उक्त भूमि में वादिया का किसी भी प्रकार से अधिकार व हिस्सा नहीं है। उक्त भूमि से वादिया का कोई लेना देना नहीं है ना ही कोई सम्बन्ध व सरोकार है । वाद पत्र के पैरा संख्या 12 मे वर्णित तथ्य मिथ्या होने से अस्वीकार है। उक्त मद मे दिनांक 07.08.2019 को प्रतिवादी संख्या 1. व आठ दस दीगर व्यक्तियों को लाने का तथ्य व जमीन दिखाने का तथ्य

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर

Scanned with CamScanner

मनगढन्त एवं असत्य है वादिया उक्त भूमि से करीब 15–20 किलोमीटर दूर ग्राम देवगुढा तहसील आमेर जिला जयपुर में निवास करती है दिनांक 07.08.2019 को कभी भी वादिया उक्त भूमि पर नही आयी । प्रतिवादी संख्या 1 पेशे से काश्तकार व्यक्ति है तथा उक्त भूमि से ही प्रतिवादी संख्या 1 अपना व अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है तथा उक्त भूमि के सहारे ही प्रतिवादी संख्या 1 का जीवन यापन हो रहा है उक्त भूमि में ही प्रतिवादी संख्या 1 ने पक्के मकानात् का निर्माण कर रखा है तथा अपने पशुओं के नोहरे व बाडे बना रखा है। इस प्रकार विक्रय करने की धमकी अपने आप से ही हास्यास्पद एवं मिथ्या है। वादिया का उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं है तो बेदखल करने का तथ्य ही अपने आप मे ही असत्य है ना ही प्रतिवादी संख्या 1 ने वादिया को जान से मारने की धमकी दी है। वाद पत्र के पैरा संख्या 13 मे वर्णित तथ्य मिथ्या होने से अस्वीकार है। उक्त मद मे उल्लेखित तथ्यों से किसी भी प्रकार से वादिया का कानूनन रूप से कोई विधिक अधिकार नहीं बनता है। प्रतिवादी संख्या 1 ग्राम सिरस की नांगल वर्तमान मे ग्राम नांगल सिरस तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 665, रकबा 0.54 हैक्टयर, खसरा नम्बर 679/845 रकबा 0.25 हैक्टयर, खसरा नम्बर 690/846 रकबा 0.21 हैक्टयर, खसरा नम्बर 691 रकबा 0.02 हैक्टयर, खसरा नम्बर 780 रकबा 0.17 हैक्टयर, कुल किता 05 रकबा 1.19 हैक्टयर का खातेदार काश्तकार है । उक्त भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 13.06.1994 को वैद्य है। प्रतिफल स्वरूप जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के कय की गयी इस प्रकार कानूनन वादिया का कोई खातेदारी घोषित करवाने का कोई अधिकार नहीं है । वाद पत्र के पैरा संख्या 14 मे वर्णित तथ्य मिथ्या होने से अस्वीकार है। प्रतिवादी संख्या 1 के काश्तकार व्यक्ति है उक्त भूमि को क्रय के दिन से ही काबिज काश्त होकर उपयोग व उपभोग करता आ रहा है तथा पक्की तामीरात व पशुओं के नोहरा व बाडा बनाकर उक्त भूमि का उपयोग व उपभोग करता आ रहा है। उक्त भूमि से खेती से अर्जित आयं से ही प्रतिवादी संख्या 1 के परिवार का लालन व भरण पोषण होता है। इस प्रकार इस मद मे बेचान, हस्तान्तरण, खुद बुर्द करने के तथ्य मिथ्या एवं मनगढन्त है। वादिया का कानूनन किसी भी प्रकार से प्रतिवादी संख्या 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का कोई अधिकार नहीं है। उक्त मद मे वादिया द्वारा उक्त भूमि के सम्बन्ध में चाही गयी अनुतोष प्राप्त करने की कतई कानूनन अधिकारिणी नहीं है। वादिया का पर किसी प्रकार से कब्जा काश्त नहीं है तो दखलन्दाजी, उक्त भूमि बाधा, हस्तक्षेप, मजाहत करने के तथ्य अपने आप मे ही हास्यास्पद है। वाद पत्र के पैरा संख्या 15 मे वर्णित तथ्य मिथ्या होने से अस्वीकार है। उक्त मद मे वादिया का उक्त भूमि मे किसी भी प्रकार से पैतृक व पुश्तैनी अधिकार निहित नहीं है। कानूनन रूप से वादिय का उक्त भूमि मे कोई हक हिस्सा नहीं है। इस प्रकार वादिया किसी भी प्रकार से कानूनन सरक्षण प्राप्त करने की अधिकारिणी नही है ना ही किसी प्रकार से वांछित निषेधाज्ञा से प्रतिवादी संख्या 1 को पाबन्द करवाने की अधिकारिणी है। वाद पत्र कि पैरा संख्या 16 मे वर्णित तथ्य मिथ्या होने से अस्वीकार है। किसी भी प्रकार से दिनांक 07.08.2019 को वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। ना ही किसी प्रकार की उक्त भूमि को विक्रय करने की धमकी दी गयी है जब वादीया

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Scanned with CamScanner

का उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का कब्जा ही नही है तो वादिया को उक्त भूमि से बेंदखल करने का तथ्य हास्यास्पद है।

प्रतिवादीगण का जवाब पेश होने पर दावे में निम्न विवाद्यक तनकी कायम की गई :–

1. आया विवादित आराजी वादिया की पुश्तैनी खातेदारी भूमि है तथा वादिया अपने पिता से प्राप्त विरासत खातेदारी कृषि भूमि को प्राप्त करने की अधिकारी है
.........वादीया

2. आया वादिया खसरा नंबर 665 रकबा 0.54 है0, 679/845 रकबा 0.25 है0, 690/846 रकबा 0.21 है0, 691 रकबा 0.02 है0, 780 रकबा 0.17 है0 वाके ग्राम नांगल सिरस, तहसील आमेर जिला जयपुर की खातेदार काश्तकार घोषित करवाने की अधिकारी है ?
.........वादीया

3. आया वादिया स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण प्राप्त किये जाने की अधिकारी है ?
.........वादीया

4. आया प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज विक्रय पत्र दिनांक 13.06.1991 कानूनन अवैध शून्य है ?
.........वादीया

5. आया आज दिवस तक वादिया वि. आ. भूमि पर काबिज काश्त है ना कि प्रतिवादी संख्या ?
.........वादीया

6. आया हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (संशोधित) 2005 के सेक्शन (6) के क्रम में वादी का वाद पोषणीय नहीं है ?
......प्रतिवादीगण

7. वादिया का वाद आवश्यक पक्षकार के संयोजन के अभाव में आदेश 1 रूल्स 13 के नुक्स से कारित है अतः वाद खारिज किये जाने योग्य है ?
......प्रतिवादीगण

8. आया प्रतिवादी, वादिया के पिता एवं मोतिया ने वि. आ. को बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13.06.1994 को कर दिये जाने से वि. आ. का रिकॉर्डेड खातेदार एवं काश्तकार है ?
......प्रतिवादीगण

9. आया उक्त भूमि वादिया के पिता एवं मोतिया की स्वअर्जित संपत्ति है। वादिया के किसी के किरी भी प्रकार से कानूनन व पुश्तैनी व पैतृक अधिकार निहित नही है?
......प्रतिवादीगण

10. आया कि 07.08.2019 को कोई वादकरण उत्पन्न नहीं हुआ ?
......प्रतिवादीगण

तदुपरान्त साक्ष्य वादी हेतु वादीया पक्ष द्वारा निम्न लिखित साक्ष्य को प्रस्तुत कर परीक्षित करवाये।

1. PW1 बिदामी देवी पत्नी रामेश्वर निवासी नांगल सिरस तहसील आमेर जयपुर
2. PW2 नानूराम चौधरी पुत्र गंगाराम चौधरी निवासी नांगल सिरस तहसील आमेर,जयपुर
3. PW3 रामचन्द्र जाट पुत्र गंगाराम निवासी नांगल सिरस तहसील आमेर,जयपुर
4. PW4 झांझुराम पुत्र कालूराम निवासी आतुणी, मोडी, देओगुधा, जयपुर

दस्तावेजी साक्ष्य प्रतिलिपि खतौनी बंदोबस्त संवत 2010 से 2022 – प्रदर्श पी–1, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श पी–2, खसरा परिशोधन विभाजन संवत 2040 प्रदर्श पी–3, विभाजन के आधार

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर

Scanned with CamScanner

पर स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 19 प्रदर्श पी–4, कुर्सीनामा प्रदर्श पी–5, मृत्यु प्रमाण पत्र मोतीराम प्रदर्श– 6, मृत्यु प्रमाण पत्र केसर देवी प्रदर्श–7, नक्शा ट्रेस पी–8, खसरा किश्तवार प्रदर्श पी–9, वादीगण ने प्रदर्शित करवाये।

प्रतिवादी साक्ष्य वादी हेतु प्रतिवादी पक्ष द्वारा निम्न लिखित साक्ष्य को प्रस्तुत कर परीक्षित करवाये गये।

1. DW1 कालूराम पुत्र हनुमान सहाय जाति जाट निवासी ग्राम सिरस की नांगल, तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. DW2 सीताराम पुत्र मंगलाराम जाति जाट निवासी देवगुढा तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. DW3 अर्जुनलाल पुत्र हनुमान जाति जाट निवासी नांगलसिरस तहसील आमेर

दस्तावेजी साक्ष्य प्रतिवादीगण ने प्रतिभा सम्मान समारोह (राज. जाट समाज) व फोटोज प्रदर्श ए–1, विक्रय पत्र प्रदर्श–2, खतौनी बंदौबस्त, सरपंच का प्रमाण पत्र प्रदर्श–ए–3, प्रमाण पत्र प्रदर्श–ए–4, भूमि प्रमाण पत्र प्रदर्श ए–5, लगान रशीदे प्रदर्श ए–6 लगायत ए–15, उर्दू नक्शा, एडीए तृतीय जयपुर निर्णय प्रदर्श ए–16, उर्दु जमाबंदी प्रदर्श ए–17, खसरा किश्तवार मौजा ग्राम सिरस प्रदर्श ए–18, जमाबंदी 2061 प्रदर्श ए–19, जमाबंदी संवत 2065 प्रदर्श ए–20, खतौनी संवत 2054 प्रदर्श–21, खतौनी संवत 2057–60 प्रदर्श ए–22, रशीद प्रदर्श ए–23, नक्शा ट्रेस प्रदर्श ए–24, खसरा गिरदावरी प्रदर्श ए–25, 26 खसरा गिरदावरी ग्राम नांगलसिरस प्रदर्श ए–27–28, पत्रिका न्युज पेपर दिनांक 27 सितम्बर 2008 प्रदर्श ए–29 प्रदर्शित करवाये।

हमने विद्वान अधिवक्तागण वादीया एवं प्रतिवादीगण की बहस सुनी। वादीया के अधिवक्ता ने लिखित बहस भी पेश की। वादिया के अधिवक्ता ने न्यायिक दृष्टान्त RRD 1982 page 299 पेश किया। प्रतिवादी अधिवक्ता ने हिन्दु उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम – 2005, 2012 (1) RRT 350 Supreme Court, 2011 Civil Court Cases 578 (P&H), 2021 RBJ 409 Rajasthan High Court, 2023(1)RRT 415 Rajasthan High Court पेश किये। वादी व प्रतिवादी के अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त तथा प्रतिवादीगण के जवाव दावा पर मनन किया। पत्रावली व प्रस्तुत साक्ष्यों का अध्ययन किया गया तथा न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन करने पश्चात् तनकीयात् निम्नानुसार निर्णित की जाती है :–

सुविधा की दृष्टि से तनकी संख्या 1 व 2 एकसाथ निर्णित की जा रही है।

तनकी संख्या 1, 2

आया विवादित आराजी वादिया की पुश्तैनी खातेदारी भूमि है तथा वादिया अपने पिता से प्राप्त विरासत खातेदारी कृषि भूमि को प्राप्त करने की अधिकारी है

.........वादीया

आया वादिया खसरा नंबर 665 रकबा 0.54 है0, 679/845 रकबा 0.25 है0, 690/846 रकबा 0.21 है0, 691 रकबा 0.02 है0, 780 रकबा 0.17 है0 वाके ग्राम नांगल सिरस, तहसील आमेर जिला जयपुर की खातेदार काश्तकार घोषित करवाने की अधिकारी है

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर

Scanned with CamScanner

पर स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 19 प्रदर्श पी–4, कुर्सीनामा प्रदर्श पी–5, मृत्यु प्रमाण पत्र मोतीराम प्रदर्श– 6, मृत्यु प्रमाण पत्र केसर देवी प्रदर्श–7, नक्शा ट्रेस पी–8, खसरा किश्तवार प्रदर्श पी–9, वादीगण ने प्रदर्शित करवाये।

प्रतिवादी साक्ष्य हेतु प्रतिवादी पक्ष द्वारा निम्न लिखित साक्ष्य को प्रस्तुत कर परीक्षित करवाये गये।

1. DW1 कालूराम पुत्र हनुमान सहाय जाति जाट निवासी ग्राम सिरस की नांगल, तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. DW2 सीताराम पुत्र मंगलाराम जाति जाट निवासी देवगुढा तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. DW3 अर्जुनलाल पुत्र हनुमान जाति जाट निवासी नागलसिरस तहसील आमेर

दस्तावेजी साक्ष्य प्रतिवादीगण ने प्रतिभा सम्मान समारोह (राज. जाट समाज) व फोटोज प्रदर्श ए–1, विक्रय पत्र प्रदर्श–2, खतौनी बंदौबस्त, सरपंच का प्रमाण पत्र प्रदर्श–ए–3, प्रमाण पत्र प्रदर्श–ए–4, भूमि प्रमाण पत्र प्रदर्श ए–5, लगान रशीदे प्रदर्श ए–6 लगायत ए–15, उर्दू नक्शा, एडीए तृतीय जयपुर निर्णय प्रदर्श ए–16, उर्दु जमाबंदी प्रदर्श ए–17, खसरा किश्तवार मौजा ग्राम सिरस प्रदर्श ए–18, जमाबंदी 2061 प्रदर्श ए–19, जमाबंदी संवत 2065 प्रदर्श ए–20, खतौनी संवत 2054 प्रदर्श–21, खतौनी संवत 2057–60 प्रदर्श ए–22, रशीद प्रदर्श ए–23, नक्शा ट्रेस प्रदर्श ए–24, खसरा गिरदावरी प्रदर्श ए–25, 26 खसरा गिरदावरी ग्राम नांगलसिरस प्रदर्श ए–27–28, पत्रिका न्युज पेपर दिनाक 27 सितम्बर 2008 प्रदर्श ए–29 प्रदर्शित करवाये।

हमने विद्वान अधिवक्तागण वादीया एवं प्रतिवादीगण की बहस सुनी। वादीया के अधिवक्ता ने लिखित बहस भी पेश की। वादिया के अधिवक्ता ने न्यायिक दृष्टान्त RRD 1982 page 299 पेश किया। प्रतिवादी अधिवक्ता ने हिन्दु उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम – 2005, 2012 (1) RRT 350 Supreme Court, 2011 Civil Court Cases 578 (P&H), 2021 RBJ 409 Rajasthan High Court, 2023(1)RRT 415 Rajasthan High Court पेश किये। वादी व प्रतिवादी के अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त तथा प्रतिवादीगण के जवाब दावा पर मनन किया। पत्रावली व प्रस्तुत साक्ष्यों का अध्ययन किया गया तथा न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन करने पश्चात् तनकीयात् निम्नानुसार निर्णित की जाती है :–

सुविधा की दृष्टि से तनकी संख्या 1 व 2 एकसाथ निर्णित की जा रही है।

तनकी संख्या 1, 2

आया विवादित आराजी वादिया की पुश्तैनी खातेदारी भूमि है तथा वादिया अपने पिता से प्राप्त विरासत खातेदारी कृषि भूमि को प्राप्त करने की अधिकारी है

.......वादीया

आया वादिया खसरा नंबर 665 रकबा 0.54 है0, 679/845 रकबा 0.25 है0, 690/846 रकबा 0.21 है0, 691 रकबा 0.02 है0, 780 रकबा 0.17 है0 वाके ग्राम नांगल सिरस तहसील आमेर जिला जयपुर की खातेदार काश्तकार घोषित करवाने की अधिकारी है ?

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर

Scanned with CamScanner

वादिया

तनकी संख्या 1 व 2 को साबित करने का भार वादिया पर है। वादिया ने वादपत्र के अभिकथन में विवादग्रस्त भूमि को पैतृक होना अंकित किया है। परन्तु इसकी पुष्टि वादिया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से किसी प्रकार से भी नहीं होती है।

वादिया ने तनकी संख्या 1, 2 के समर्थन में न्यायालय के समक्ष जो दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये है वह खतौनी बंदोबस्त एवं विभाजन से सम्बन्धित परिशोधन पत्र है। जिन दस्तावेजो को वादिया ने न्यायालय के समक्ष प्रदर्श पी–1 एवं पी–3 के रूप प्रदर्शित करवाया है। परन्तु उक्त दस्तावेजात से किसी भी प्रकार से यह साबित नहीं होता है कि विवादग्रस्त आराजी वादिया के पिता मोतिया को विरासत से प्राप्त हुई है या पैतृक है।

प्रतिवादी को वादिया के पिता मोतिया द्वारा दिनांक 13.06.1994 को विवादित आराजी का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा किया गया है, एवं हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005 की धारा 6 की उपधारा 3 में संशोधन दिनांक 09.09.2005 को किया गया है, जिसमें स्पष्ट **परन्तुक** जोड़ा गया है कि ***"इस उपधारा की अंतर्विष्ट के कोई भी बात सम्पत्ति के किसी भी विभाजन या या वसीयती, व्ययन को सम्मलित करते हुए, ऐसे किसी भी व्ययन या अन्य संकरामण (alienation) को प्रभावित या अविधिमान्य नहीं करेगी जो 20.12.2004 के पूर्व का हुआ था "*** अर्थात् 20.12.2004 से पूर्व के विभाजन, वसीयत व अन्तरण को मुक्त रखा गया है। इस प्रकार, उक्त स्थिति में हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005 के परन्तुक अनुसार वादिया के कोई अधिकार शेष नहीं रहते है। जिसके संबंध में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2012(1)RRT 359 व 2011 Civil Court Cases 578 (P&H) सीधे चस्पा होते है।

इसके अतिरिक्त प्रतिवादी द्वारा उक्त तनकी संख्या 1 व 2 के खण्डन में कथन किया है कि वादिया के पिता ने अपनी मृत्यु से पूर्व ही वर्ष 1994 में विक्रय पत्र से भूमि का बेचान प्रतिवादी के हक में किया है, जिस विक्रय पत्र को प्रतिवादी ने न्यायालय के समक्ष प्रदर्श ए–2 के रूप में प्रदर्शित करवाया है। प्रदर्श ए–2 दस्तावेज रजिस्टर्ड विक्रय पत्र है, जिसको सिविल न्यायालय से ही निरस्त करवाकर अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी है। राजस्व न्यायालय को विक्रय पत्र के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का निर्णय करने का अधिकार नहीं है। इसके संबंध में न्यायिक दृष्टांत 2023(1)RRT 415 Rajasthan High Court, व 2021 RBJ 409 "Suit for cancellation of Sale Deed as void. Suit apparently is maintainable before the Civil Court पेश किये है जो सीधे चस्पा होते है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर कि वादिया तनकी संख्या 1 व 2 को साबित करने में असमर्थ रही है है फलस्वरूप तनकी संख्या 1 व 2 वादिया के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

सहायक कलक्टर
[illegible]

Scanned with CamScanner

तनकी संख्या 3

आया वादिया स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण प्राप्त किये जाने की अधिकारी है ?
........वादीया

तनकी संख्या 1 व 2 वादिया के विरूद्व निर्णित होने से तनकी संख्या 3 स्वतः ही वादिया के विरूद्व निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 4

आया प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज विक्रय पत्र दिनांक 13.06.1991 कानूनन अवैध शून्य है ?
........वादीया

उक्त तनकी में प्रतिवादी संख्या 2 व विक्रय पत्र दिनांक 13.06.1991 अंकित है जो कि सहवहन से लिख गया है उक्त में प्रतिवादी संख्या 1 व दिनांक 13.06.1994 पढा गया। वादिया के पिता स्व0 मोतिया ने विवादित भूमि दिनांक 13.06.1994 को ही प्रतिवादी संख्या 1 को विक्रय कर दि थी। उक्त विक्रय पत्र को सक्षम न्यायालय मे आज दिनांक तक चुनौती नही दी है और ना हि विक्रय पत्र के कानूनन अवैध होने से संबंधित साक्ष्य/सबूत या सक्षम न्यायालय का निर्णय पेश किये है। फलस्वरूप वादिया तनकी संख्या 4 साबित करने में असफल रही है। अतः तनकी संख्या 4 वादिया के विरूद्व निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 5

आया आज दिवस तक वादिया वि. आ. भूमि पर काबिज काश्त है ना कि प्रतिवादी संख्या ?
........वादीया

वादिया ने विवादित आराजी पर काबिज काश्त के संबंध में किसी प्रकार के कोई साक्ष्य पेश नही किये है। दस्तावेजी साक्ष्य प्रतिवादीगण ने प्रदर्श ए–4 तहसीलदार आमेर द्वारा जारी प्रमाण पत्र, प्रदर्श–3 उप–तहसीलदार रामपुरा डाबडी द्वारा जारी भूमि प्रमाण पत्र, लगान रशीदे संख्या ए–6, ए–9 से ए–12, ए–14, ए–15, ए–18, ए–23, प्रदर्श– ए–29 आम सूचना विज्ञप्ति से प्रतिवादी ने अपना कब्जा बखुबी साबित किया है। उपरोक्त विवेचन से वादिया विवादित आराजी पर अपना कब्जा साबित करने में असफल रही है। अतः तनकी संख्या 5 वादिया के विरूद्व निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 6

आया हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (संशोधित) 2005 के सेक्शन (6) के क्रम में वादी का वाद पोषणीय नहीं है ?
......प्रतिवादीगण

हिन्दु उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 की धारा 6 की उपधारा 3 मे संशोधन दिनांक 09.09.2005 को किये गया है, जिसमे स्पष्टया परन्तुक जोडा गया कि इस उपधारा मे अन्तर्विष्ट कोई भी बात सम्पत्ति के किसी भी विभाजन या वसीयती, व्ययन को सम्मलित करते हुए, ऐसे किसी भी व्ययन या अन्य संकरामण

सहायक कलेक्टर
आमेर म. जयपुर

Scanned with CamScanner

(alienation) को प्रभावित या अविधिमान्य नहीं करेगी जो 20.12.2004 के पूर्व का हुआ था। हस्तगत प्रकरण में विवादित भूमि हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के प्रभाव में आने से 11 वर्ष पूर्व ही वादिया के पिता स्व. मोतीया उर्फ मोतीराम ने भूमि बेचान मिन प्रतिवादी के हक में जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से कर दिया था। इस प्रकार स्पष्ट है कि वादिया के विवादित भूमि में कोई अधिकार शेष नही रहते है। तनकी संख्या 6 को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था, जो कि प्रतिवादी ने बखूबी साबित किया है। अतः तनकी संख्या 6 प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 7

वादिया का वाद आवश्यक पक्षकार के संयोजन के अभाव में आदेश 1 रूल्स 13 के मुताबिक कारित है अतः वाद खारिज किये जाने योग्य है ?

....प्रतिवादीगण

उक्त तनकी का भार प्रतिवादी पर था परन्तु प्रतिवादी ने इस संबंध में किसी प्रकार के कोई साक्ष्य / सबूत पेश नही किये जिससे साबित हो सके की वादिया ने आवश्यक पक्षकार संयोजित नही किये हो। अतः तनकी संख्या 7 प्रतिवादीगण के विरुद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 8

आया प्रतिवादी, वादिया के पिता एवं मोतिया ने वि. आ. को बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13.06.1994 को कर दिये जाने से वि. आ. का रिकॉर्डेड खातेदार एवं काश्तकार है ?

....प्रतिवादीगण

प्रतिवादी द्वारा प्रदर्शित दस्तावेज प्रदर्श—ए—2 विक्रय पत्र, खतौनी बंदोबस्त, सरपंच का प्रमाण पत्र प्रदर्श—ए—3, प्रदर्श ए—16, जमाबंदी प्रदर्श ए—17, खसरा किश्तवार मौजा ग्राम सिरस प्रदर्श ए—18, जमाबंदी 2061 प्रदर्श ए—19, जमाबंदी संवत 2066 प्रदर्श ए—20 से प्रतिवादी ने रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार होना बखूबी साबित किया है। विक्रय पत्र को निष्प्रभावी करने के लिए आज दिनांक तक किसी सक्षम न्यायालय में चैलेन्ज (Challenge) नही किया है, इसके संबंध में न्यायिक दृष्टांत 2023(1)RRT 415 Rajasthan High Court, व 2021 RBJ 409 "Suit for cancellation of Sale Deed as void. Suit apparently is maintainable before the Civil Court सीधे चस्पा होते है। फलस्वरूप तनकी संख्या 8 का निर्णय अभिलेखीय साक्ष्य, न्यायिक दृष्टांत के क्रम में प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर जि. जयपुर

तनकी संख्या 9, 10

आया उक्त भूमि वादिया के पिता एवं मोतिया की स्वअर्जित संपत्ति है। वादिया के किसी के किसी भी प्रकार से कानूनन व पुश्तैनी व पैतृक अधिकार निहित नही है?

....प्रतिवादीगण

आया कि 07.06.2019 को कोई वादकरण उत्पन्न नही हुआ ?

....प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर
आमेर जि. जयपुर

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्या – 82/2019
बउनवानी – बिदामी देवी बनाम कालूराम वगै0
निर्णय दिनांक – 14.07.2023

वादिया तनकी संख्या 1 लगायत 5 को साबित करने में असफल रही है। अतः तनकी संख्या 9, 10 प्रतिवादी के पक्ष में स्वतः ही निर्णित की जाती हैं।

आदेश

तनकी संख्या 01 लगायत 05 में पारित निष्कर्ष के आधार पर वादीया अपने वाद को साबित करने में असमर्थ रही हैं तथा वादीया का वाद खारिज किये जाने योग्य है।

अतः वादीया का वाद खारिज किया जाता है। तदनुसार डिकी जारी की जाये। पत्रावली नियमानुसार फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
आमेर मु0 जयपुर

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर

निर्णय आज दिनांक 14.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
आमेर मु0 जयपुर

न्यायालय सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर